उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

– आदेश –

झारखण्ड राज्य खाद्य सूरक्षा आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या–14022020007 के माध्यम से आवेदक श्री अजय कुमार महतो, ग्राम–डुंडीगाछी, पंचायत–चोकाग मगनपुर, थाना–गोला, जिला– रामगढ़ के द्वारा राशन कार्ड में नाम बदलते हुए अजय कुमार को अजय कुमार महतो तथा रेखा देवी को तनुजा देवी करने से संबंधित शिकायत दर्ज कराते हुए, उक्त समस्या का निराकरण हेतु अनुरोध किया गया है। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15(5) की उप धारा 1 के तहत् अंगीकृत करते हुए अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई का निर्णय लिया गया तथा उभय पक्षों को नोटिस निर्गत की गई।

दिनांक 16.12.2020 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ उपस्थित हुए एवं अपीलार्थी श्री अजय कुमार महतो अनुपस्थित रहे। आवेदक द्वारा ई–मेल के माध्यम से सूचना दी गई की राशन कार्ड में अबतक नाम सुधार नहीं किया गया है तथा वे अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई के क्रम में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ के प्रतिनिधि ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए उक्त शिकायत के आलोक में उल्लेख किया कि आवेदक से दूरभाष पर वार्ता हुई तथा उन्हें नाम सुधार करने से संबंधित कागजात कार्यालय में जमा करने का अनुरोध किया गया। कागजात प्राप्त होते ही नाम सुधार कर दी जायेगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के द्वारा वाद की कार्रवाई समाप्त करने को अनुरोध किया गया है।

उभ्य पक्षों को सुनने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा राशन कार्ड में नाम सुधार करने की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है, जिस कारण उनका नाम सुधार नहीं हो सका है। अपीलार्थी को निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर सभी वांछित कागजात संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि नाम सुधार की जा सके। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को निदेश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा सभी कागजात प्रस्तुत करने के उपरांत जाँचोपरांत नियमानुकूल 15 दिनों के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगढ़ के प्रतिनिधि के अनुरोध के आलोक में वाद की कार्रवाइ समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजें।

16/12/2020

अपर समाहर्त्ता –सह–

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी रामगढ़।

ज्ञापांक 1878 / रा0 दिनांक 18 / 12 / 2020

प्रतिलिपिः– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री अजय कुमार महतो, ग्राम–डुंडीगाछी, पंचायत–चोकाग मगनपुर, थाना–गोला, जिला– रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/2020

अपर समाहर्त्ता –सह–

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी रामगढ़।

D2/Shams/Ltr/J.sir555